क्रमांक एवं आदेश की तिथि 1	पदाधिकारी का आदेश और हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी ता0 सहित 3
06.02.2020	न्यायालय अन्तर्गत अनुमण्डल पदाधिकारी, साहेबगंज।	

न्यायालय अन्तर्गत अनुमण्डल पदाधिकारी, साहेबगंज।

प्रधानी बहाली वाद संख्या–43/2019–20

बोको पहाड़िया–बनाम–16 आना रैयत

आवेदक

1. बोको पहाड़िया, पिता–स्व0 मैसा पहाड़िया
   साकिन–लोधोनी पहाड़, थाना–जिरवाबाड़ी, ओ0पी0
   जिला–साहेबगंज।

–बनाम–

16 आना रैयत, मौजा–छोटा पचगढ़, नम्बर–30P
थाना–जिरवाबाड़ी, (ओ0पी0) जिला–साहेबगंज।

–:: आ दे श ::–

प्रस्तुत वाद की कार्रवाई अंचल अधिकारी, बोरियो के पत्रांक–411/रा0,दिनांक–30.07.2019 द्वारा समर्पित प्रधानी बहाली प्रस्ताव प्रतिवेदन के आलोक में दिनांक–11.01.2020 को प्रारंभ की गयी। तत्पश्चात आवेदक एवं मौजा के 16 आना रैयत को नोटिस निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, बोरियो द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में प्रतिवेदित है कि मौजा–छोटा पंचगढ़ पहाड़ नं0–30P के संबंधित राजस्व कर्मचारी द्वारा ग्राम का आयोजन किया गया एवं स्थल जाँच किया जाया कि मौजा–छोटा पंचगढ़ पहाड़ नं0–30P एक प्रधानी मौजा है। जाँच में पाया कि उक्त मौजा में मैसा पहाड़िया पूर्व में प्रधान थें, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। ग्राम सभा में बताया गया कि वर्त्तमान में प्रधान का वंशज नहीं है। इस मौजा का लगान 40.86 पैसा है, ग्राम सभा में 16 आना रैयत के समक्ष आवेदक बोको पहाड़िया, पिता–स्व0 मैसा पहाड़िया, साकिन–लोधोनी पहाड़ को मौजा का प्रधान चयनित किया गया। ग्राम सभा की प्रति संलग्न है। राजस्व कर्मचारी द्वारा आवेदक बोको पहाड़िया, पिता–स्व0 मैसा पहाड़िया, साकिन–लोधोनी पहाड़, थाना– जिवाबाड़ी, (ओ0 पी0) जिला– साहेबगंज को संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम–1949 की धारा–05 के तहत् मौजा प्रधान नियुक्ति हेतु अनुशंसा की गई है। राजस्व कर्मचारी द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन से प्रभारी अंचल निरीक्षक द्वारा सहमति जतायी गयी। राजस्व कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, बोरियो द्वारा अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी गयी है।

अंचल अधिकारी, बोरियो से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर मौजा के 16 आना रैयत को आपत्ति आमंत्रण नोटिस जारी किया गया। नोटिस तामिला प्राप्त है। 16 आना रैयत की ओर से किसी भी प्रकार का कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गयी है।

अतः अंचल अधिकारी,बोरियो द्वारा समर्पित प्रस्ताव के साथ ग्राम सभा सहित प्रतिवेदन एवं आवेदक को सुनने तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक मौजा छोटा पंचगढ़, पहाड़ नं0–30P के रैयत नहीं है। उक्त मौजा के पूर्व बहाल प्रधान नावल्द थें, जिनकी मृत्यू पूर्व में हो चुकी है। मौजा

क्रमांक एवं आदेश की तिथि 1	पदाधिकारी का आदेश और हस्ताक्षर 2	आदेश पर कार्रवाई के बारे में टिप्पणी ता0 सहित 3
	के 16 आना रैयतों द्वारा ग्राम सभा के माध्यम से आवेदक बोको पहाड़िया, पिता–स्व0 मैसा पहाड़िया, साकिन–लोधोनी पहाड़ को मौजा–छोटा पंचगढ़ पहाड़ नं0–30P का प्रधान नियुक्ति हेतु सहमति जतायी गयी है। उक्त आधार पर आवेदक का दावा सही प्रतीत होता है। तदोपरान्त संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम–1949 की धारा–05 के तहत् आवेदक को मौजा छोटा पंचगढ़ पहाड़ नं0–30P का प्रधान नियुक्त किया जाता है। आवेदक को कबुलियत दाखिल करने हेतु सूचित करें। तत्पश्चात पट्टा निर्गत करने की कार्रवाई की जाएगी। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, बोरियो को भेजें। लेखापित एवं संशोधित। अनुमण्डल पदाधिकारी, साहेबगंज। अनुमण्डल पदाधिकारी, साहेबगंज।	